27-5-24 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण में वकील वादी की एक तरफा माजिद बहस सुनी जा चुकी है। वकील वादी ने फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया जाने पर वाद वादी का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत अंतिम निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

MK

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज.
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

संख्या ::– 25/21

मुकेश बोहरा पिता प्रेमचंद जी बोहरा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ

वादी

बनाम

1. जगदीश पिता कन्हैयालाल नाई निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
2. महिपाल पिता मांगीलाल नाई बेगूँ तह0 बेगूँ
3. कुरमत बानू पत्नी महबूब अली अंसारी बेगूँ तह0 बेगूँ
4. चन्द्रप्रकाश जोशी पिता रामचन्द्र जोशी बेगूँ तह0 बेगूँ
5. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार महोदय बेगूँ
6. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय प्रतिनिधि राज0सरकार चितौडगढ़

उपस्थित ::– बी.के.भटट
अधिवक्ता वादी

प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः– 27-05-2024

निर्णय वाद अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से वादपत्र अधिवक्ता श्री बी.के.भटट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 की कृषि आराजी ग्राम बेगूँ प0ह0 बेगूँ में स्थित है जिसकी खाता सं0 247 आराजी सं0 1365 रकबा 0.6580 है0 कृषि आराजी में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 का राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा निहित होकर दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 भी इस भूमि में सहखातेदार होकर उनका भी नाम इस आराजी में दर्ज रिकार्ड है। कानूनन अविभाजित सम्पति में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर बराबर बराबर का हक अधिकार होता है।

यह कि उक्त कृषि आराजी भूमि का विभाजन नहीं होने से आये दिन वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 के मध्य सीमा संबंधी विवाद होता रहता है। प्रतिवादी सं0 2 अपने हिस्से में से अन्य दीगर को भूमि बेचने की धमकियां देता रहता है। यदि विभाजन पूर्व अपने हिस्से में से भूमि का किसी अन्य दीगर को रहन बय बेचान कर देता है तो वादी को भारी परेशानी होगी। विभाजन नहीं होने से विकती हिस्से का स्थान तय नहीं रहेगा। जिससे वादी कभी भी अपने हक हिस्से के उपयोग–उपभोग से महरूम हो सकता है।

यह कि वादी ने प्रतिवादी सं0 2 को दिनांक 15.02.2021 को विभाजन पूर्व अपनी भूमि अन्य दीगर को नहीं बेचने बाबत एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 को दिनांक 20.02.2021 को भूमि का अच्छी से अच्छी बुरी से बुरी मीटस एण्ड बाउण्डस या कब्जे कें आधार पर विभाजन को कहा तो प्रतिवादीगण द्वारा मना कर दिया व लडाई झगडे पर आमादा हो एवं प्रतिवादी सं0 2 ने कहा कि मैं मेरी जमीन किसी को भी बेच दूंगा। जिससे उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है इसलिए प्रतिवादी सं0 1 से 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

अतः वादीगण न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है–

1- कि उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में वादी का जमाबंदी में अंकित हक हिस्से अनुसार मीटस एण्ड बाउण्डस या कब्जे के आधार पर विभाजन कराये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान करायी जावे।

2- कि प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादपत्र में अंकित भूमि का अन्य किसी दीगर को रहन बय बेचान नहीं करे।

3- कि अन्य कोई अनुतोष सुलभ हो वादी को दिलाया जावे।

वाद अ0धा0 53–88–188 राज0का0अधि0 का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया जाने पर सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी सं0 1 से 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये व प्रतिवादी सं0 5 व 6 फोर्मल पक्षकार होने से जवाब पेश नहीं करने से जवाब का अवसर बंद कर प्रकरण में साक्ष्य प्रतिवादी हेतु मुकेश बोहरा के साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर बयान कलमबद्ध कर दस्तावेज प्रदर्श कराये। प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी 2071 से 2074 है। प्रदर्श 2 नकल नक्शा ट्रेस है।

प्रकरण में बयान के पश्चात वकील वादी द्वारा एकतरफा बहस कर निवेदन वाद पत्रानुसार किया गया कि मौजा बेगूँ की आराजी सं0 1365 कुल रकबा 0.6580 है0 भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 4 का राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार है जिस पर प्रत्येक इंच भूमि पर बराबर बराबर का हक अधिकार है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद होता रहता है व प्रतिवादी सं0 2 द्वारा विभाजन पूर्व भूमि बेचान करने की धमकी दी गई। अतः वाद वादी का स्वीकार किया जाकर उक्त आराजीयात का वादी एवं

वादीगण के मध्य विभाजन कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। प्रकरण वकीलवादी की एकतरफा बहस को ध्यापूर्वक सुनी गई एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी 2071 से 2074 में वादी मुकेश बोहरा पिता प्रेमचंद बोहरा 1/6 हिस्सा अंकित है जो वादी अपना हिस्से का विभाजन कराने का अधिकारी पाया जाता है। इस प्रकार पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं वादपत्र पर सुनी गई वकीलवादी की बहस से हम सहमत है। वादी का वाद अ0धा0 53–88–188 राज0का0अधि0 का स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वादी का वाद अ0धा0 53–88–188 राज0का0अधि0 का स्वीकार किया जाता है मौजा बेगूँ खाता सं0 247 आराजी सं0 1365 रकबा 0.6580 है0 कृषि भूमि में वादी का 1/6 हिस्से का खातेदार होने की घोषणात्मक आज्ञप्ति वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जाती है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 का हिस्सा जमाबंदी अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री दी जाती है तथा तहसीलदार बेगूँ को 1500/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आराजी का विभाजन हिस्सानुसार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के साथ दो प्रति में इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।

उपरोक्त प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे तहसीलदार बेगूँ को वर्णित आराजियात का फर्द बटवारा रिपोर्ट वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु लिखा गया था जिसकी पालना मे तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांक/राजस्व/भू.अ./2023/2093 दिनांक 15-09-2023 के साथ फर्द बटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई जिसमे वकील वादी की बहस सुनी गई वकील वादी द्वारा प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट सही होने एवं दावा अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है। प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार वादीगण का वादपत्र अन्तिम डिक्री किया जाने की घोषणा कि जाती हे!

अतः वादीगण वादपत्र 53-88-188 राज0कश्त0अधि0 का मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा बेगूं प0ह0 बेगूं की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार से खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1– जगदीश पिता प्रेमचन्द बोहरा सा. बेगूं

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
1365मेसे	0.3280	बरानी	2.84

2– मुकेश पिता प्रेमचन्द बोहरा सा. बेगूं

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
1365मेसे	0.1094		0.95

3– चन्द्रप्रकाश पिता रामचन्द्र जोशी सा. बेगूं

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
1365मेसे	0.0546		0.47

4– महिपाल पिता मांगीलाल नाई 145/149 कुरमत बानू पति महबूब अली 4/149 सा. बेगूं

आराजी संख्या	रकवा हैक्टर में	किस्म	लगान
1365मेसे	0.1640		0.41

मूल आराजी 1365 में दक्षिण भाग जगदीश के हिस्से में रहा एवं जगदीश के लगती हुई उत्तर दिशा का भाग महिपाल व कुरमत बानू के हिस्से में रहा एवं महिपाल के उत्तर दिशा का भाग चन्द्र प्रकाश के रहा एवं चन्द्र प्रकाश के उत्तर दिशा का भाग मुकेश बोहरा के रहा! साथ ही विपक्षी गण जरिये स्थाई निपेधाज्ञा से पावंद किया जाता हे की वादी के हिस्से की आराजी को किसी अन्य दीगर को रहन बेचान नहीं करे!

उपरोक्त वादी एवं प्रतिवादी का खाता राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावे ।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

मूल वाद मे अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

दावा संख्या ::– 25/21

1. मुकेश बोहरा पिता प्रेमचंद जी बोहरा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ

बनाम — वादी

2. जगदीश पिता कन्हैयालाल नाई निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
3. महिपाल पिता मांगीलाल नाई बेगूँ तह0 बेगूँ
4. कुरमत बानू पत्नी महबूब अली अंसारी बेगूँ तह0 बेगूँ
5. चन्द्रप्रकाश जोशी पिता रामचन्द्र जोशी बेगूँ तह0 बेगूँ
6. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार महोदय बेगूँ
7. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय प्रतिनिधि राज0सरकार चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री बी.के.भटट **तथा प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थिति में इस वाद अ.धा. 53-88-188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 27.05.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-88-188 राज0 काश्त0 अधि0 का फर्द बटवारा अनुसार स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिकी किया जाता है:–**

अतः वादीगण वादपत्र 53-88-188 राज0कश्त0अधि0 का मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा बेगूं प0ह0 बेगूं की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार से खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1– जगदीश पिता प्रेमचन्द बोहरा सा. बेगूं

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
1365मेसे	0.3280	बरानी	2.84

2– मुकेश पिता प्रेमचन्द बोहरा सा. बेगूं

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
1365मेसे	0.1094		0.95

3– चन्द्रप्रकाश पिता रामचन्द्र जोशी सा. बेगूं

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
1365मेसे	0.0546		0.47

4– महिपाल पिता मांगीलाल नाई 145/149 कुरमत बानू पति महबूब अली 4/149 सा. बेगूं

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
1365मेसे	0.1640		0.41

मूल आराजी 1365 में दक्षिण भाग जगदीश के हिस्से में रहा एवं जगदीश के लगती हुई उत्तर दिशा का भाग महिपाल व कुरमत बानू के हिस्से में रहा एवं महिपाल के उत्तर दिशा का भाग चन्द्र प्रकाश के रहा एवं चन्द्र प्रकाश के उत्तर दिशा का भाग मुकेश बोहरा के रहा । साथ ही विपक्षी गण जरिये स्थाई निपेधाज्ञा से पावंद किया जाता हे कि वादी के हिस्से की आराजी को किसी अन्य दीगर को रहन बेचान नहीं करे ।

उपरोक्त वादी एवं प्रतिवादी का खाता राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावे ।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

कमांक/सरिस्ता/2024/298 दिनांक:–12-6-24

प्रतिलिपि तहसीलदार बेंगूँ को अंतिम डिकी की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगू को भिजवाई जावे

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ